पत्रांक–SUDA/AMRUT/GIS-108/2017.....73

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

केन्द्रांश–अमृत 2.0
Master Plan वित्तीय
वर्ष 2026–27

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 31/08/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के Sub-Scheme-GIS Based Master Plan (Formulation of GIS Based Master Plan for Class-II Towns) मद में SNA SPARSH के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्गत Mother Sanction के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि 1,02,07,860/– (एक करोड़ दो लाख सात हजार आठ सौ साठ) रूपये मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित अमृत 2.0 के Sub-Scheme-GIS Based Master Plan (Formulation of GIS Based Master Plan for Class-II Towns) मद में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में Mother Sanction No. K-14011/15/2025-AMRUT IIA दिनांक 23.06.2026 के माध्यम से कुल राशि 1,02,07,860/– (एक करोड़ दो लाख सात हजार आठ सौ साठ) रूपये मात्र आवंटित की गई है। उक्त राशि की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि रू० में)

क्र०	State Link Scheme का नाम एवं SLS Code	मद	OSP	DDO का नाम एवं Code
1	JH271- JH-AMRUT 2.0 Administrative and Other Expenses (A&OE)	GIS Based Master Plan	1,02,07,860.00	Atul Kumar, PRJUDV068

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में अमृत 2.0 अंतर्गत A&OE (केन्द्रांश) मद के OSP प्रक्षेत्र से निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगी :–

(राशि रु. में)

State Link Scheme का नाम एवं SLS Code	मद	बजट शीर्ष	प्रक्षेत्र	स्वीकृत राशि
JH271- JH-AMRUT 2.0 Administrative and Other Expenses (A&OE)	GIS Based Master Plan	मांग सं० 48, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), केन्द्र प्रायोजित स्कीम, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–AD, अमृत 2.0 अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, सब स्कीम हेड–01–अमृत परियोजना, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780191AD010679 Central Scheme – Urban Rejuvenation Mission – 500 Cities (9556)	OSP	1,02,07,860.00

3. अमृत 2.0 के Sub-Scheme-GIS Based Master Plan अंतर्गत राज्य के नगर निकायों का Master Plan Drone/UAV Technology से बनाने हेतु योजना तैयार कर उसपर SHPSC की दिनांक 16.10.2025 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान करते हुए स्वीकृति हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.02.2026 का सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्षता में सम्पन्न Apex Committee की बैठक में प्रदान की गई है।

4. Town and Country Planning Organisation, MoHUA, भारत सरकार के पत्रांक PS-1302(16)/1/2025-URIS-TCPO-MoHUA दिनांक 17.07.2026 द्वारा GIS Based Master Plan अंतर्गत 17 नगर निकायों हेतु स्वीकृत योजना का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :– (राशि रू० में)

73
31/08/26

Sl. No.	Name of ULB	Creation of Geo-data base	Master plan formulation	Capacity building	Total
I	Mihijam Nagar Parishad	11,30,400.00	70,00,000.00	2,00,000.00	83,30,400.00
II	Pakur Nagar Parishad	13,46,400.00	70,00,000.00	2,00,000.00	85,46,400.00
III	Chirkunda Nagar Parishad	10,99,800.00	70,00,000.00	2,00,000.00	82,99,800.00
IV	Garhwa Nagar Parishad	14,07,600.00	70,00,000.00	2,00,000.00	86,07,600.00
V	Dumka Nagar Parishad	18,00,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	90,00,000.00
VI	Godda Nagar Parishad	13,87,800.00	70,00,000.00	2,00,000.00	85,87,800.00
VII	Chaibasa Nagar Parishad	12,70,800.00	70,00,000.00	2,00,000.00	84,70,800.00
VIII	Chatra Nagar Parishad	12,88,800.00	70,00,000.00	2,00,000.00	84,88,800.00
IX	Gumla Nagar Parishad	15,62,400.00	70,00,000.00	2,00,000.00	87,62,400.00
X	Madhupur Nagar Parishad	16,59,600.00	70,00,000.00	2,00,000.00	88,59,600.00
XI	Chakardharpur Nagar Parishad	12,87,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	84,87,000.00
XII	Lohardaga Nagar Parishad	18,00,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	90,00,000.00
XIII	Bishrampur Nagar Parishad	18,00,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	90,00,000.00
XIV	Simdega Nagar Parishad	18,00,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	90,00,000.00
XV	Kapali Nagar Parishad	11,26,800.00	70,00,000.00	2,00,000.00	83,26,800.00
XVI	Jugsalai Nagar Parishad	9,43,200.00	70,00,000.00	2,00,000.00	81,43,200.00
XVII	Ranchi Municipal Corporation	18,00,000.00	70,00,000.00	2,00,000.00	90,00,000.00
	Total	**2,45,10,600.00**	**11,90,00,000.00**	**34,00,000.00**	**14,69,10,600.00**

GIS Based Master Plan (Formulation of GIS Based Master Plan for Class-II Towns) अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि 14,69,10,600/– रू० की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध प्रथम किस्त की राशि 1,02,07,860/– रू० आवंटित की गई है।

5. अमृत 2.0 के Sub-Scheme-GIS Based Master Plan से संबंधित स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अमृत 2.0 दिशा–निर्देशिका, स्वीकृत GIS Based Master Plan योजना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में कराया जायेगा।

6. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 1 (27) PFMS/2020 दिनांक 21.05.2024 द्वारा केन्द्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन को SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3532/वि० दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिर्जव बैंक के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme, CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने हेतु SNA SPARSH के रूप में समायोजित प्रणाली स्वीकृत शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है ।

8. अमृत 2.0 के तहत् Sub-Scheme-GIS Based Master Plan मद में शत–प्रतिशत केन्द्रांश राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है, इसलिए राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सम्बंधित State Link Schemes Drawing Account से राशि की निकासी करेंगे।

10.विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष (2024–25) में इस मद में राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र शून्य है।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। राशि व्यय होने के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय, राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

12.योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे सम्बंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि॰ दिनांक–20.03.2015 के कंडिका–5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं॰ 759/वि॰ दिनांक 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित की जाएगी।

विश्वासभाजन

29-08-26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/GIS-108/2017/73 राँची, दिनांक 31/08/26

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संयुक्त सचिव (बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण/लेखा शाखा, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार/लेखा शाखा (अमृत), राज्य शहरी विकास अभिकरण/श्री उत्कर्ष कुमार, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31-08-26

सरकार के प्रधान सचिव।